झारखण्ड सरकार

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा
(जिला योजना शाखा)

अल्प–कालीन निविदा

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि SCA निधि से पश्चिमी सिंहभूम जिला में मतदान केन्द्रों में सोलर लैम्प की सुविधा उपलब्ध कराया जाना है। उक्त के निमित्त इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता/एजेन्सी से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता को सूचीबद्ध जिला योजना कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में किया जायेगा।

इच्छुक निविदादाता अपना एक Sample के साथ Technical एवं Financial Bid अलग–अलग कर बन्द लिफाफा में **जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा** को संबोधित करते हुए **स्थान– जिला योजना कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा** में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 30/11/2019 के अपराह्न **02:00** बजे तक हाथों–हाथ ही जमा कर सकते हैं।

उक्त निविदा जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के सभा कक्ष में दिनांक 30/11/2019 को **03:00** बजे अपराह्न खोला जाएगा।

नोट :– **निविदा हेतु विस्तृत जानकारी जिले के बेवसाईट *www.chaibasa.nic.in* पर देखा जा सकता है।**

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक 382/जि०यो० दिनांक 21/11/2019

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आज ही NIC के वेबसाईट में Upload करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, प० सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ एवं उक्त निविदा को सभी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

Scanned by CamScanner

झारखण्ड सरकार

सोलर लैम्प आपूर्ति हेतु निविदा की नियम–शर्तें :–

1. सभी इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता/एजेन्सी निविदा में अपना पूरा नाम, पता एवं प्रोफाईल पूर्ण रूप से अंकित करेंगे।
2. सभी इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता/एजेन्सी का GSTIN धारक होना अनिवार्य है, निविदा में GSTIN No. & Pan No. भी अंकित करेंगे।
3. वैसे आपूर्तिकर्त्ता/NGO/एजेन्सी जिन्हें पूर्व में किसी भी सरकारी/गैर सरकारी विभाग द्वारा काली सूची (Blacklist) में दर्ज नहीं किया गया है, वैसे ही आपूर्तिकर्त्ता/NGO/एजेन्सी से सम्पूर्ण कार्य कराया जाना है। यदि निविदा द्वारा चयनित करने के उपरांत भी संबंधित एजेन्सी के विरूद्ध काली सूची (Blacklist) तथा अनियमितता की सूचना प्राप्त होने पर निविदा को रद्द कर आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। निविदा में काली सूची (Blacklist) तथा अनियमितता नहीं होने संबंधी नोटरी पब्लिक से एक शपथ–पत्र तैयार कर संलग्न करेंगे।
4. सभी इच्छूक आपूर्तिकर्त्ता/NGO/एजेन्सी द्वारा उक्त कार्य से संबंधित किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था के साथ किये गये कार्य का वर्क ऑर्डर या कार्यानुभव प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी जाएगी।
5. सोलर लैम्प जो सोलर और Electric Rechargeble Battery Fitted LED का होना चाहिए।
6. आपूर्तिकर्त्ता/एजेन्सी को Demonstration के लिए सोलर लैम्प की एक–एक प्रति में निविदा खोले जाने के क्रम में दिखाऐगे, ताकि राशि एवं सोलर लैम्प की गुणवत्ता एवं लैम्प की रोशनी का आकलन किया जा सके।
7. आपूर्तिकर्त्ता/एजेन्सी को सोलर लैम्प के Maximum Expiry Date भी अंकित करेगे।
8. आपूर्तिकर्त्ता/एजेन्सी को सोलर लैम्प आपूर्ति के लिए यात्रा/परिवहन व्यय स्वरूप अलग से राशि नहीं उपलब्ध करायी जायेगी।
9. आपूर्तिकर्त्ता/एजेन्सी अपने Financial Bid में सोलर लैम्प की विस्तृत विवरणी निम्नांकित फार्मेट में उपलब्ध करायेगे :–

SL	Item	Watt	Brand	Rate per unit (Including all taxes)	Maximum Expiry Date
1					
2					
3					

10- जिला प्रशासन के द्वारा उक्त निविदा किसी भी समय रद्द कर सकती है तथा गठित समिति का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। उक्त निविदा से संबंधित सभी अधिकार जिला प्रशासन सुरक्षित रखती है।

21/11/19

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

Scanned by CamScanner